

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-11-2025

- » सर्वोच्च न्यायालय NJAC को पुनः प्रारंभ करने की याचिका पर 'विचार' करेगा: CJI
- » डिजिटल जेनेटिक्स से बीज की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों को खतरा
- » डिजिटल संप्रभुता
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर सिफारिशें स्वीकार

संक्षिप्त समाचार

- » अनुच्छेद 141
- » अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान
- » निष्क्रिय इच्छामृत्यु
- » "अनुसूचित जाति छात्रों के लिए 'टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना' के संशोधित दिशा-निर्देश"
- » इंटरनेट अधिकार समूह द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 16 वर्ष से कम आयु वालों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध को चुनौती
- » संघ लोक सेवा आयोग(UPSC)
- » जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO)
- » हैदराबाद में LEAP इंजन के लिए Safran का MRO
- » मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम भारतीय भूविज्ञानी के नाम पर रखा गया
- » फिन्स वीवर
- » भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा

सर्वोच्च न्यायालय NJAC को पुनः प्रारंभ करने की याचिका पर 'विचार' करेगा: CJI

समाचार में

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को पुनः प्रारंभ करने और वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है।

NJAC क्या है?

- NJAC को एक संवैधानिक निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसका कार्य उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण करना था।
- 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और साथ ही NJAC अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नए संवैधानिक अनुच्छेद (124A-124C) जोड़े गए थे ताकि NJAC की स्थापना की जा सके।

NJAC की संरचना:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश, पदेन अध्यक्ष
- सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
- विधि और न्याय के केंद्रीय मंत्री
- दो विशिष्ट व्यक्ति
 - इन विशिष्ट व्यक्तियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाना था जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे।
- 2015 का निर्णय:** 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ (चौथा न्यायाधीश मामला) ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को 4:1 बहुमत से असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।
 - न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका (विधि मंत्री के माध्यम से) और गैर-न्यायिक व्यक्तियों को न्यायिक नियुक्तियों में वीटो या निर्णायक भूमिका देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जो संविधान की "मूल संरचना" का भाग है।

पहलू	NJAC के विरुद्ध तर्क (कोलेजियम का पक्ष)	NJAC को पुनः प्रारंभ करने के पक्ष में तर्क (कोलेजियम के विरुद्ध)
• न्यायिक स्वतंत्रता	• NJAC स्वतंत्रता से समझौता करता है क्योंकि यह कार्यपालिका को प्रभाव देता है। न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए न्यायिक प्रधानता आवश्यक है।	• जजों का जजों को नियुक्त करना (ज्यूडिशियल सेल्फ-अपॉइंटमेंट) लोकतांत्रिक सिद्धांतों और चेक्स एंड बैलेंस की भावना के विरुद्ध है।
• राजनीतिक प्रभाव	• विधि मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य राजनीतिक पक्षपात और लेन-देन आधारित नियुक्तियों का जोखिम उत्पन्न करते हैं।	• कार्यपालिका (सरकार) न्यायालयों में सबसे बड़ी वादी है; इसे यह अधिकार होना चाहिए कि कौन उसके मामलों का निर्णय करेगा ताकि मूलभूत जांच सुनिश्चित हो सके।
• जवाबदेही और पारदर्शिता	• कोलेजियम एक ब्लैक बॉक्स है जो बिना किसी संवैधानिक आधार, औपचारिक सचिवालय या प्रकाशित मानदंडों के संचालित होता है।	• NJAC, विविध सदस्यों के साथ, जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। 'विशिष्ट व्यक्ति' न्यायिक क्षेत्र से बाहर, नागरिक समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
• वीटो शक्ति	• NJAC में दो-सदस्यीय वीटो शक्ति कार्यपालिका को किसी भी नाम को, न्यायिक योग्यता की परवाह किए बिना, रोकने का प्रभावी अधिकार दे सकती है।	• कोलेजियम में विवादास्पद न्यायिक नियुक्तियों को वीटो करने की किसी भी व्यवस्था का अभाव, गैर-जवाबदेह निर्णयों और भाई-भतीजावाद के आरोपों को जन्म देता है।
• शक्तियों का पृथक्करण	• निरपेक्ष पृथक्करण तभी संभव है जब प्रत्येक अंग अपनी संरचना पर स्वयं नियंत्रण रखे। कार्यपालिका अपने मंत्रियों की नियुक्ति करती है, विधायिका अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है—न्यायपालिका को अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं करनी चाहिए।	• निरपेक्ष पृथक्करण एक मिथक है। यहाँ तक कि स्थापित लोकतंत्रों में भी, न्यायिक नियुक्तियों में अनेक अंग शामिल होते हैं।

<ul style="list-style-type: none"> गति और दक्षता 	<ul style="list-style-type: none"> कोलेजियम, विलंबों के बावजूद, सिफारिशों पर कार्य करता है। वास्तविक बाधा न्यायिक चयन नहीं बल्कि सरकारी स्वीकृति है। NJAC अधिक नौकरशाही परतें जोड़ देगा। 	<ul style="list-style-type: none"> कोलेजियम की अनौपचारिक और गोपनीय परामर्श प्रक्रिया भारी विलंब का कारण बनती है। समय-सीमा और प्रक्रियाओं वाला एक संस्थागत तंत्र (जैसे NJAC) नियुक्तियों को तीव्रता से पूर्ण कर सकता है।
---	---	--

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली (कोलेजियम प्रणाली)

अवलोकन:

- भारत की उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली कोलेजियम प्रणाली है, जो संविधान के स्पष्ट पाठ के बजाय अनुच्छेद 124 और 217 की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुई है।
 - अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और आवश्यकतानुसार अन्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है।
 - अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (HC CJ), और राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।

न्यायाधीश मामलों के माध्यम से विकास

- प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):** “परामर्श” का अर्थ कार्यपालिका की प्रधानता; CJI की राय बाध्यकारी नहीं।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993):** पूर्व निर्णय को परिवर्तित करना; नियुक्तियों में CJI की प्रधानता, CJI + दो वरिष्ठ SC न्यायाधीशों का कोलेजियम बना।
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** SC कोलेजियम का विस्तार कर CJI + चार वरिष्ठतम SC न्यायाधीश शामिल किए गए; यदि सरकार की आपत्तियों के बाद भी दोहराया जाए तो बाध्यकारी।

नियुक्ति प्रक्रिया

- सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश:**
 - SC कोलेजियम (CJI + 4 वरिष्ठ) योग्यता, ईमानदारी, विविधता के आधार पर नाम सुझाता है।

- नाम विधि मंत्रालय को भेजे जाते हैं; सरकार एक बार आपत्ति कर सकती है, लेकिन यदि दोहराया जाए तो नियुक्ति करनी ही होगी।

- राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश:

- HC कोलेजियम (HC CJ + 2 वरिष्ठ) प्रक्रिया शुरू करता है; अनुमोदन हेतु CJI/SC कोलेजियम को भेजता है।
- वही सरकारी जांच लागू होती है; राज्यपाल की राय के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

Source: TH

डिजिटल जेनेटिक्स से बीज की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों को खतरा

समाचार में

- डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI) का उपयोग पेरू के लीमा में आयोजित खाद्य और कृषि हेतु पौध आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के 11वें सत्र में एक प्रमुख विवाद का विषय रहा।

डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI)

- यह DNA, RNA या प्रोटीन से प्राप्त आनुवंशिक डेटा को संदर्भित करता है, जिसे डिजिटल रूप से संग्रहीत, साझा और विश्लेषित किया जाता है।
- यह जीनोम अनुक्रमण, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रिंसीजन मेडिसिन को सक्षम बनाता है, जिससे शोधकर्ता बिना जैविक नमूनों तक भौतिक पहुँच के जैव विविधता का अध्ययन कर सकते हैं।

अनुप्रयोग

- यह जीनोम मैपिंग, दवा खोज और कृषि नवाचार को सुगम बनाता है।
- रोगजनकों का पता लगाने में सहायता करता है (जैसे, COVID-19 जीनोम अनुक्रमण)।

- जीनोम संपादन के माध्यम से फसल सुधार और लचीलापन को समर्थन देता है।
- जैव विविधता निगरानी और प्रजाति संरक्षण में सहायक होता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- कई देशों को भय है कि कंपनियाँ DSI का उपयोग करके जैव विविधता संधि (CBD) जैसी संधियों के अंतर्गत लाभ-साझाकरण दायित्वों से बचती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि DSI किसानों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि कंपनियाँ डिजिटल आनुवंशिक डेटा पर बौद्धिक संपदा का दावा करती हैं बिना स्रोत समुदायों को मुआवजा दिए।
- वर्तमान संधियाँ (CBD, नागोया प्रोटोकॉल, ITPGRFA) डिजिटल डेटा को संबोधित करने में संघर्ष कर रही हैं, जिसे आसानी से सीमाओं के पार साझा किया जा सकता है।
 - ▲ संधि की बहुपक्षीय प्रणाली (MLS) ने लाखों पौध आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान को सुगम बनाया है, लेकिन किसानों तक लाभ-साझाकरण न्यूनतम रहा है।
- कुछ देशों या कंपनियों में जीनोमिक डेटाबेस का केंद्रीकरण असमान पहुँच की चिंताओं को बढ़ाता है।

आगे की राह

- डिजिटल सीक्वेंस सूचना (DSI) अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है, जो वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाती है, साथ ही समानता और संप्रभुता की चिंताओं को भी जन्म देती है।
- खुले पहुँच और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत समावेशी शासन, विकासशील देशों में जीनोमिक अवसंरचना का निर्माण, और आनुवंशिक संसाधन प्रदान करने वाले समुदायों की मान्यता सुनिश्चित करे।
- जैव विविधता-समृद्ध देशों जैसे भारत के लिए, किसानों के अधिकारों और संरक्षण से जुड़े DSI उपयोग को स्पष्ट राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ना आवश्यक है, जबकि

वैश्विक सहयोग एक बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से होना चाहिए ताकि एकाधिकार रोका जा सके और DSI सतत विकास में योगदान दे सके।

Source :DTE

डिजिटल संप्रभुता

संदर्भ

- वैश्विक शक्ति संरचनाएँ भौतिक संपत्तियों (तेल, सामरिक मार्ग) से डिजिटल संप्रभुता की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। किसी राष्ट्र का डिजिटल पदचिह्न अब धन का प्राथमिक स्रोत और कूटनीति का सबसे प्रभावी उपकरण है।

डिजिटल संप्रभुता

- इसमें कानूनी और नियामक संरचनाएँ बनाना शामिल है जो डेटा निर्यात पर संप्रभु नियंत्रण और राष्ट्रीय डिजिटल क्षेत्र को विनियमित करने के अबाध अधिकार सुनिश्चित करती हैं। यह भौतिक स्तर (अवसंरचना, प्रौद्योगिकी), कोड स्तर (मानक, नियम और डिज़ाइन) और डेटा स्तर (स्वामित्व, प्रवाह और उपयोग) है।

डिजिटल संप्रभुता के स्तंभ:

- ▲ **डेटा संप्रभुता:** भारत में उत्पन्न डेटा भारतीय कानूनों के अंतर्गत संग्रहीत, संसाधित और शासित होता है।
- ▲ **प्रौद्योगिकीय संप्रभुता:** चिप्स, नेटवर्क, एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड में स्वदेशी क्षमता।
- ▲ **प्लेटफॉर्म संप्रभुता:** विदेशी सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना।
- ▲ **साइबर संप्रभुता:** साइबरस्पेस को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय डिजिटल सीमाओं के अंदर कानून लागू करने की क्षमता।
- ▲ **नियामक संप्रभुता:** स्वतंत्र डिजिटल नीति और नियम-निर्माण।

डिजिटल संप्रभुता क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक \$1 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े डेटा उत्पादकों में से एक बन जाएगा।

- ▲ 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, उत्पन्न, संसाधित और संग्रहीत व्यक्तिगत डेटा की मात्रा अत्यधिक है।
- ▲ इसने वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों को आकर्षित किया है, लेकिन डेटा संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न भी उठाए हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** जब भारतीय नागरिकों का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा विदेशी क्षेत्रों में संग्रहीत होता है, तो यह विदेशी कानूनों और संभावित विदेशी निगरानी के अधीन हो जाता है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में कमजोरियाँ पैदा होती हैं।
- **बढ़ते साइबर खतरे:** ऐसे युग में जहाँ डेटा उल्लंघन और साइबर युद्ध वास्तविक खतरे हैं, राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर महत्वपूर्ण डेटा रखने से बेहतर प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- **आर्थिक हित:** यह प्रभावी रूप से एक मजबूत घरेलू डेटा केंद्र उद्योग बनाता है।
 - ▲ इससे न केवल रोजगार और तकनीकी विशेषज्ञता उत्पन्न होती है बल्कि विदेशी अवसंरचना पर निर्भरता भी कम होती है।
- **बेहतर डेटा प्रबंधन:** देश के अंदर डेटा रखने से इसे अधिक आसानी से निगरानी और ऑडिट किया जा सकता है ताकि दुरुपयोग या उल्लंघन रोका जा सके।
- **वैश्विक शक्ति गतिशीलता:** मजबूत डिजिटल क्षमताओं वाले राष्ट्र वैश्विक शासन में नियम-निर्माता के रूप में उभरते हैं।

डिजिटल संप्रभुता की चुनौतियाँ

- **बिग टेक प्रभुत्व:** अमेरिकी और चीनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता।
- **वैश्विक परस्पर जुड़ाव:** इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति विनियमन को कठिन बनाती है।
- **वैश्विक व्यापार प्रभाव:** चिंता है कि सख्त स्थानीयकरण आवश्यकताएँ व्यवसायों के लिए परिचालन लागत बढ़ा सकती हैं, जिससे नवाचार और विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।
- **अनुपालन बोझ:** व्यवसायों को कई स्थानीयकरण कानूनों का पालन करने में कानूनी और नियामक

जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर सीमा-पार डेटा हस्तांतरण में।

- **प्रौद्योगिकीय निर्भरता:** भारत सेमीकंडक्टर, दूरसंचार उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड आर्किटेक्चर आयात करता है।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** साइबर सुरक्षा, चिप डिज़ाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग में कमी।

सरकारी पहल

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (मसौदा, 2024):** इसका उद्देश्य बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना है और बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा आत्म-पसंदगी, डेटा दुरुपयोग एवं गेटकीपिंग को नियंत्रित करना है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** यह उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा संरक्षण अधिकार स्थापित करता है और सहमति-आधारित डेटा प्रसंस्करण और दुरुपयोग पर दंड अनिवार्य करता है।
- **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023:** यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की शक्तियों को मजबूत करता है।
 - ▲ डिजिटल बाजार एकाधिकार को लक्षित करता है और प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की तीव्र जाँच सक्षम करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** शिकायत निवारण, ट्रेसबिलिटी और सामग्री मॉडरेशन में पारदर्शिता अनिवार्य करता है।
 - ▲ यह उपयोगकर्ता हानि या गलत सूचना के लिए प्लेटफॉर्म जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** यह ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक खुला, इंटरऑपरेबल नेटवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **डिजिटल इंडिया पहल:** समावेशी डिजिटल पहुँच, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित — नागरिकों को सूचित डिजिटल विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना।

आगे की राह

- **संप्रभुता और खुलेपन का संतुलन:** प्रभावी डिजिटल संप्रभुता ढाँचे को वैध सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं को वैश्विक सहयोग एवं इंटरऑपरेबिलिटी की आवश्यकता के साथ संतुलित करना चाहिए।
- **गोपनीयता एक मानव अधिकार के रूप में:** यह दृष्टिकोण सरकारों को नागरिकों की गरिमा और संवैधानिक परंपराओं के आधार पर उच्च संरक्षण मानक स्थापित करने में सक्षम बनाता है, न कि केवल बाज़ार दक्षता दबावों पर।
- **बिग टेक का विनियमन:** पारदर्शी, लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह तंत्रों के माध्यम से जो डिजिटल एकाधिकार को रोकते हुए नवाचार की रक्षा करें।
- **सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** स्पष्ट कानूनों के साथ जो निषिद्ध डेटा हस्तांतरण और अपवादों की शर्तों को परिभाषित करते हैं, पारदर्शिता और निगरानी तंत्र के साथ ताकि निगरानी के दुरुपयोग को रोका जा सके।

निष्कर्ष

- भारत को दृढ़ता से डिजिटल संप्रभुता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए—ऐसी कानूनी और नियामक संरचनाएँ बनाकर जो डेटा निर्यात पर संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय डिजिटल क्षेत्र को विनियमित करने के अबाध अधिकार बनाए रखें।
- भारत का डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण दृष्टिकोण उसकी संप्रभु आकांक्षाओं एवं उसके विशाल डिजिटल पदचिह्न को प्रबंधित करने की व्यावहारिक चुनौतियों दोनों को दर्शाता है।

Source: IE

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर सिफारिशें स्वीकार

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने खनन को सीमित करने के लिए अरावली पर्वतों की परिभाषा पर संघ पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है जो संबंधित हैं:

- ▲ अरावली पर्वतों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा;
- ▲ मुख्य/अस्पृश्य क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध;
- ▲ और अरावली पर्वतों और श्रृंखलाओं में सतत खनन को सक्षम बनाने तथा अवैध खनन को रोकने के उपाय।


पृष्ठभूमि

- दशकों से अरावली पर्वत खनन (कानूनी और अवैध दोनों) और निर्माण जैसी अन्य विकास गतिविधियों के दबाव में रहे हैं।
- विगत वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से अरावली की एक समान परिभाषा तैयार करने को कहा था।
- जहाँ FSI 2010 से अरावली पर्वतों को परिभाषित करने के लिए 3-डिग्री ढलान मानक का उपयोग कर रहा था, वहीं 2024 में गठित तकनीकी समिति ने इस मानक को संशोधित किया।
- ▲ इसने किसी भी भू-आकृति को अरावली पर्वत मानने के लिए कम से कम 4.57 डिग्री ढलान और कम से कम 30 मीटर ऊँचाई का मानक तय किया।
- ▲ ये मानक प्रभावी रूप से अरावली का लगभग 40% क्षेत्र कवर करते।

समिति द्वारा नई परिभाषा

- कोई भी भू-आकृति जो स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर हो, उसे उसकी ढलानों और आस-पास की भूमि सहित अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा।

- ▲ इस परिभाषा के अनुसार, अरावली पर्वतों का 90% हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा।



- वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (FSI) के एक आंतरिक आकलन के अनुसार: राजस्थान के 15 जिलों में फैले केवल 1,048 भू-आकृतियाँ,

अर्थात् मात्र 8.7%, ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर हैं।

- 20 मीटर ऊँचाई की सीमा किसी पर्वत के वायु अवरोधक के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अरावली पर्वतमाला

- अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर (430 मील) तक उत्तर-पूर्वी दिशा में फैली हुई है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से होकर दिल्ली में समाप्त होती है।
- यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। राजस्थान इस पर्वतमाला के लगभग दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह पर्वतमाला ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, चट्टानी उभारों और विरल वनस्पति से युक्त है, और क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा जल विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- अरावली मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करती है, विविध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है और साबरमती, लूणी एवं बनास सहित कई नदियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
- जैव विविधता से समृद्ध अरावली में शुष्क पर्णपाती वन, झाड़-झंखाड़ और घास के मैदान सहित अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों एवं कीड़ों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

नई परिभाषा से चिंताएँ

- इस परिभाषा के अनुसार, अरावली पर्वतों का 90% से अधिक हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा और खनन तथा निर्माण के लिए संभावित रूप से खुला होगा, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे, जिनमें NCR की वायु गुणवत्ता भी शामिल है।
- बहिष्कृत क्षेत्र:** मंत्रालय की चार राज्यों में फैली 34 अरावली जिलों की सूची में कई ऐसे जिले छूट गए जिनमें अरावली की स्थापित उपस्थिति है।

आगे की राह

- 100 मीटर ऊँचाई की परिभाषा को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रालय से भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) की सहायता से अरावली पर्वतों के लिए सतत खनन हेतु एक प्रबंधन योजना विकसित करने को कहा है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

अनुच्छेद 141

समाचार में

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “बेंच हंटिंग” की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जिसमें वादी बाद की पीठों से पहले के निर्णयों को पलटने या संशोधित करने की कोशिश करते हैं।

अनुच्छेद 141 के बारे में

- अनुच्छेद 141 वह संवैधानिक प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के अंदर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है, और उसके निर्णय पूरे देश में कानून की एकरूपता और निश्चितता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- यह सिद्धांत, जिसका अर्थ है “निर्णीत बातों पर कायम रहना,” अनुच्छेद 141 की नींव है।
- यह सुनिश्चित करता है कि एक बार किसी विधिक बिंदु पर अधिकारपूर्वक निर्णय हो जाने के बाद, उसे भविष्य के मामलों में पालन किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 141 क्यों महत्वपूर्ण है?

- विभिन्न उच्च न्यायालयों को कानूनों की अलग-अलग व्याख्या करने से रोकता है।
- न्यायशास्त्र में स्थिरता प्रदान करता है।
- निचली अदालतों को स्थापित सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करता है।

- संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक अनुशासन को सुदृढ़ करता है।

Source: TH

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान

समाचार में

- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) के अध्यक्ष पद को संभालने जा रहे हैं।

इंटरनेशनल IDEA के बारे में

- यह 1995 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह विश्वभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करता है।
- वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं।
- भारत इंटरनेशनल IDEA का संस्थापक सदस्य है और इसके संचालन तथा पहलों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

महत्व

- यह अध्यक्ष पद भारत के चुनाव आयोग (ECI) की विश्व के प्रमुख चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक के रूप में विश्वसनीयता और नवाचार की मान्यता के रूप में देखा जाता है।

Source :DD

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा जिला अस्पताल को एक प्राथमिक बोर्ड गठित करने के लिए कहा है ताकि एक 31 वर्षीय व्यक्ति, जो एक दशक से अधिक समय से वेजिटेटिव स्टेट में है, के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की संभावना का पता लगाया जा सके।

इच्छामृत्यु (Euthanasia)

- इच्छामृत्यु किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करने की क्रिया है ताकि उसके दर्द या पीड़ा को दूर किया जा सके।
 - नैतिकताविद सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर करते हैं।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जानबूझकर चिकित्सा हस्तक्षेप, जैसे जीवन रक्षक उपकरण, को रोकने या हटाने का निर्णय शामिल होता है ताकि व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो सके।
 - सक्रिय इच्छामृत्यु वह जानबूझकर किया गया कार्य है जिसमें डॉक्टर सीधे हस्तक्षेप करके किसी असाध्य रोगी को उसकी स्वेच्छा से मृत्यु प्रदान करता है। यह भारत में अवैध है।

कानूनी स्थिति

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया था, बशर्ते कि व्यक्ति के पास एक “लिविंग विल” हो।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ‘गरिमा के साथ मरने का अधिकार’ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
 - लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें यह निर्दिष्ट होता है कि भविष्य में यदि व्यक्ति स्वयं चिकित्सा निर्णय लेने में सक्षम न हो तो कौन-सी कार्रवाई की जाए।
 - गोवा प्रथम राज्य है जिसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को कुछ सीमा तक औपचारिक रूप दिया है।

Source: TH

“अनुसूचित जाति छात्रों के लिए ‘टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना’ के संशोधित दिशा-निर्देश”

समाचार में

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए ‘अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना’ के अद्यतन दिशा-निर्देश

जारी किए हैं, जिनमें वित्तीय सहायता का विस्तार और संस्थागत जवाबदेही को सख्त किया गया है।

योजना के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत पूर्ण ट्यूशन शुल्क और शैक्षणिक भत्ते भारत के प्रमुख संस्थानों में प्रदान किए जाते हैं।
- यह छात्रवृत्ति उन SC छात्रों को उपलब्ध होगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है और जिन्हें अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश मिला है, जिनमें IITs, IIMs, AIIMS, NITs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, NIFT, NID, IHMs और अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज शामिल हैं।

संशोधित वित्तीय मानदंड

- केंद्र सरकार सीधे DBT के माध्यम से छात्रों को पूर्ण ट्यूशन शुल्क और गैर-वापसी योग्य शुल्क हस्तांतरित करेगी, जो निजी संस्थानों के लिए प्रति वर्ष ₹2 लाख तक सीमित होगा।
- छात्रों को पहले वर्ष में ₹86,000 और बाद के वर्षों में ₹41,000 का शैक्षणिक भत्ता मिलेगा, जिससे जीवन-यापन, पुस्तकों और लैपटॉप का व्यय पूरा किया जा सके।
- लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय या राज्य योजनाओं से समान छात्रवृत्ति प्राप्त करने से रोका जाएगा।
- वर्ष 2024-25 के लिए 4,400 नए स्लॉट उपलब्ध हैं, जो 2021-26 की कुल सीमा 21,500 के भीतर हैं, जिनमें से 30% SC लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
- केवल प्रथम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं, नवीनीकरण प्रदर्शन पर निर्भर होगा, और लाभ प्रति परिवार अधिकतम दो भाई-बहनों तक सीमित रहेगा।

Source : TH

इंटरनेट अधिकार समूह द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 16 वर्ष से कम आयु वालों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध को चुनौती

संदर्भ

- डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट नामक एक इंटरनेट अधिकार समूह ने विश्व में प्रथम बार लागू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई

कानूनों को रोकने के लिए कानूनी चुनौती शुरू की है, जिसके अंतर्गत जल्द ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया जाएगा।

परिचय

- ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के एक मिलियन से अधिक खातों को निष्क्रिय किया जाने वाला है।
- यह प्रतिबंध यूट्यूब, टिकटॉक, स्नेपचैट और मेटा के फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।
 - ▲ जो कंपनियाँ इस प्रतिबंध का पालन नहीं करेंगी, उन्हें अधिकतम 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
- डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने इन कानूनों को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर “अनुचित” हमला हैं।
- विश्व भर की सरकारें और तकनीकी कंपनियाँ ऑस्ट्रेलिया के इस प्रयास पर बारीकी से नज़र रख रही हैं, जिसे नाबालिगों की सोशल मीडिया पहुँच को नियंत्रित करने के सबसे व्यापक प्रयासों में से एक माना जा रहा है।

Source: ET

संघ लोक सेवा आयोग(UPSC)

संदर्भ

- UPSC के ‘शताब्दी सम्मेलन’ (Centenary Conclave) में कार्मिक मामलों के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने UPSC की प्रशंसा करते हुए उसे “भारत के स्टील फ्रेम का संरक्षक” कहा।

UPSC के बारे में

- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों और ली आयोग (1924) की सिफारिशों के अनुसार, भारत में 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
- बाद में 1937 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया और भारत के संविधान को 26 जनवरी

1950 को अपनाने के साथ इसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नाम दिया गया।

- यह सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करता है ताकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय वन सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जा सके।
- **सदस्य:** अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
 - ▲ एक UPSC अध्यक्ष को छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है, सभी सदस्यों की अवधि समान होती है।
- **पुनर्नियुक्ति:** UPSC अध्यक्ष अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता।
- **पदमुक्ति(अनुच्छेद 317):** राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभाओं को भर्ती एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 310 कहता है कि संघ और राज्यों के सिविल सेवक क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते हैं।
- अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमाने तरीके से बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 312 IAS, IPS और IFS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

Source: PIB

जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO)

समाचार में

- चीन ने अपना जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (JUNO) का निर्माण पूरा कर लिया है।

परिचय

- यह विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, जो अगस्त 2025 से परिचालन में है और दुर्लभ “भूत कण” कहलाने वाले न्यूट्रिनो का अभूतपूर्व सटीकता के साथ अध्ययन करने के लिए बनाया गया है।
- यह ग्वांगडोंग प्रांत के कैपिंग शहर में 700 मीटर भूमिगत स्थित है।
- JUNO मुख्य रूप से पास के यांगजियांग और ताइशान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से आने वाले इलेक्ट्रॉन एंटी-न्यूट्रिनो को मापता है ताकि न्यूट्रिनो मास हायरार्की का निर्धारण किया जा सके, तीन-स्वाद (three-flavor) ऑसिलेशन का परीक्षण किया जा सके तथा स्टैंडर्ड मॉडल से परे भौतिकी की पड़ताल की जा सके।

Source: TH

हैदराबाद में LEAP इंजन के लिए Safran का MRO

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हैदराबाद, तेलंगाना में सफ़रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) सुविधा का उद्घाटन किया।
 - ▲ LEAP इंजन एक आधुनिक, ईंधन-कुशल इंजन है जो कई नैरो-बॉडी विमानों को शक्ति प्रदान करता है।

SAESI

- यह लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन (LEAP) इंजनों के लिए समर्पित सुविधा है।
- इसे 1300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 45 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में GMR एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क-SEZ में विकसित किया गया है।
- इसे प्रति वर्ष 300 LEAP इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 2035 तक पूर्ण परिचालन क्षमता प्राप्त करने पर यह एक हजार से अधिक उच्च-कुशल भारतीय तकनीशियनों और इंजीनियरों को रोजगार देगा।

महत्व

- इस सुविधा की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी विमान इंजन मेंटनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधाओं में से एक है।
- यह पहली बार है जब किसी वैश्विक इंजन OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) ने भारत में MRO संचालन स्थापित किया है।
- यह भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

Source :TH

मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम भारतीय भूविज्ञानी के नाम पर रखा गया

संदर्भ

- मंगल ग्रह पर 3.5 अरब वर्ष पुराना एक क्रेटर अब भारत के अग्रणी भूविज्ञानी एम.एस. कृष्णन के नाम से जाना जाएगा।

परिचय

- 'कृष्णन' के अलावा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने क्रेटर से जुड़े कई छोटे भू-आकृतियों के लिए केरल-आधारित नामों को भी स्वीकार किया है।
 - ▲ इनमें 'वलियामला,' 'थुंबा,' 'बेकल,' 'वरकला' और 'पेरियार' शामिल हैं, जिन्हें छोटे क्रेटरों एवं एक वलिस (घाटी) के लिए चुना गया है।
 - ▲ इसका अर्थ है कि अब केरल के ये स्थान मंगल ग्रह पर भी अपने समकक्ष रखते हैं।

ग्रह संबंधी नामकरण

- ग्रह संबंधी नामकरण पृथ्वी पर स्थानों के नामकरण जैसा ही है।
- यह सूची इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) द्वारा बनाई गई है, जिसमें 1919 से अब तक ग्रहों, उपग्रहों और कुछ रिंग सिस्टम पर दिए गए सभी नाम शामिल हैं।

- IAU के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बड़े और महत्वपूर्ण मंगल क्रेटरों का नाम उन दिवंगत वैज्ञानिकों पर रखा जा सकता है जिन्होंने ग्रह विज्ञान में बुनियादी योगदान दिया हो।
- छोटे क्रेटरों का नाम उन कस्बों या गाँवों पर रखा जा सकता है जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से कम हो, बशर्ते नाम उच्चारण में आसान हों और उनका ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व हो।

मंगल ग्रह

- मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और इसका विशिष्ट जंग-सा लाल रूप है तथा इसके दो असामान्य उपग्रह हैं।
 - ▲ फोबोस: मंगल से लगभग 6000 किमी ऊपर;
 - डिमोस: मंगल से लगभग 20,000 किमी ऊपर।
- मंगल पर सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं, जिनमें ओलंपस मॉन्स प्रमुख है।
- वायुमंडल: मंगल पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -153 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
 - ▲ ग्रह की सतह चट्टानी है, जिस पर घाटियाँ, ज्वालामुखी, सूखी झीलें और क्रेटर हैं, जो लाल धूल से ढके हुए हैं।
 - ▲ इसमें पृथ्वी की तुलना में लगभग एक-तिहाई गुरुत्वाकर्षण है तथा इसका वायुमंडल पृथ्वी से कहीं अधिक विरल है, जिसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और 1% से कम ऑक्सीजन है।
- यह ग्रह अपनी धुरी पर पृथ्वी से अधिक धीमी गति से घूमता है और सूर्य से दूर होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है।
 - ▲ मंगल पर एक दिन 24.6 घंटे का होता है और एक वर्ष 687 पृथ्वी दिनों का होता है।

Source: TH

फिन्स वीवर

समाचार में

- फिन्स वीवर धीरे-धीरे तराई के दलदली निम्न क्षेत्रों से गायब हो रहा है।

फिन्स वीवर के बारे में

- फिन्स वीवर (प्लोसियस मेगारिन्चस), जिसे फिन्स बया या पीला वीवर भी कहा जाता है, एक संवेदनशील (vulnerable) वीवर पक्षी प्रजाति है जो भारत एवं नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों के घास के मैदानों में पाई जाती है।
- इसके प्रमुख खतरे हैं: कृषि विस्तार से आवास की हानि, घासभूमि का पुनः अधिग्रहण, अत्यधिक चराई, औद्योगिकीकरण, और खुले घोंसलों पर कौवों द्वारा शिकार।

Source: TH

भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा**संदर्भ**

- भारत को आधिकारिक रूप से 2030 राष्ट्रमंडल खेल (CWG) की मेज़बानी सौंपी गई है, जिसमें अमदावाद (अहमदाबाद) को मेज़बान शहर घोषित किया गया है। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में CWG की मेज़बानी की थी।

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) के बारे में

- राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी।
- वर्तमान समय के राष्ट्रमंडल खेल एक बहु-खेल अंतरराष्ट्रीय आयोजन हैं, जो ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होते हैं और इनमें राष्ट्रमंडल देशों तथा उनके संबद्ध क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।
- राष्ट्रमंडल राष्ट्र या सरल रूप में राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्व उपनिवेश रहे हैं।
- समय के साथ सदस्यता में राजनीतिक बदलावों और स्वैच्छिक वापसी या नए जुड़ाव के कारण परिवर्तन हुआ है।
- आज राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बहु-खेल आयोजन है और चौथा सबसे अधिक देखा जाने वाला वैश्विक प्रसारण खेल आयोजन है, जिसमें 71 देशों एवं क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।

Source: TH

